न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत आवेदन पत्र संख्या 01/2013

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीण**
1. हंजारीमल पुत्र तगाराम 2. बाबूलाल पुत्र तगाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र तगाराम 4. सीताराम पुत्र तगाराम 5. लूम्बाराम पुत्र तगाराम जातियान माली निवासी बोरावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत तिलवाड़ा जरिये सरपंच 2. गेबाराम पुत्र मानाराम जाति माली निवासी बोरावास हाल बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 03 दिनांक 25.3.2012 जो ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. श्री राणाराम गौड अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री सुनील मैराजा अधिवक्ता विप्रार्थी सख्या 02 की ओर से।
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक 26.10.2016**

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 25.3.2012 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 25.3.2012 को भूखण्ड का पट्टा संख्या 03 जारी किया गया। जबकि इसी भूखण्ड पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी स्वामित्व एवं कब्जा है। विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा फर्जी तरीके से उक्त भूखण्ड का पट्टा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत 200/– रूपये में दिनांक 25.3.2012 को जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 पिछले 20 वर्षो से बालोतरा शहर में अपने परिवार सहित निवास

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कर रहा है। विप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी करने में विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में उल्लेखित नियम 145, 146, 147, 148, 149 एवं 157 का उल्लंघन किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से सम्पादित करते हुए द्वारा उक्त पट्टा संख्या 03 जारी करने में नियमों की पूर्णतया अनदेखी की जाकर विप्रार्थी संख्या 02 को निजी लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत तिलवाड़ा से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।
4. विप्रार्थीगण द्वारा नोटिस का जवाब पेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप विप्रार्थीगण का ज़वाब बन्द किया गया।
5. बहस् के दौरान् प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु किये गये आवेदन की प्राप्ति तिथि में काटछांट कर दिनांक 15.12.12 के स्थान पर दिनांक 15.12.11 किया गया है। ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा कायम की गई मिसल की ऑर्डरसीट में रसीद की तिथि 18.12.12 में काटछांट कर 18.12.11 की गई हैं। मिसल की ऑर्डरसीट दिनांक 6.2.2012 में जिस शपथ पत्र के पेश करने का उल्लेख किया गया है, वह स्टाम्प उप कोषाधिकारी पचपदरा द्वारा दिनांक 28.6.2012 को जारी किया गया एवं स्टाम्प वेण्डर द्वारा दिनांक 25.7.2012 को विप्रार्थी संख्या 02 को बेचा गया। उक्त तथ्यों से प्रथमदृष्या यह साबित होता हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में फर्जी तरीके से जारी किया गया पट्टा संख्या 03 दिनांक 25.2.2012 खारिज किये जाने योग्य है।

6. विप्रार्थी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तगाराम एवं गेबाराम दोनो भाई है एवं पैतृक भूमि के दो हिस्से करवाते हुए विप्रार्थी संख्या 02 गेबाराम द्वारा अपने हिस्से के भूखण्ड का पट्टा बनवा गया है, जो मौके की स्थिति अनुसार सही है। उक्त पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रृटि नहीं रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई निगरानी निरस्त करते हुए विप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा यथावत रखा जावें।
7. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत तिलवाड़ा के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को यह विवादित पट्टा संख्या 03

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

नियम् 157 अनुसार जहॉ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो वहॉ वे निम्न अनुसार राशि जमा कराये जिन्हें इसके पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानो हेतु 100/– रूपये (ख) इन नियमों के लागू होने की तिथि 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– रूपये। उक्त पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत तिलवाड़ा से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन की प्राप्ति तिथि में काट–छांट कर 15.12.11 करना एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में आवेदन पत्र पेश करने की तिथि 30.9.11 अंकित होना तथा ग्राम पंचायत तिलवाडा द्वारा पट्टा जारी करने हेतु कायम की गई मिसल की आडॅरसीट दिनांक 06.02.2012 में प्रार्थी द्वारा पेश जिस शपथ पत्र का उल्लेख किया गया है, वह स्टाम्प उप कोषाधिकारी पचपदरा द्वारा दिनांक 28.6.2012 को जारी किया गया तथा स्टाम्प वेण्डर द्वारा स्टाम्प विप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 25.7.2012 को बेचा गया। इसप्रकार उप कोषाधिकारी पचपदरा द्वारा दिनांक 28.6.2012 को जारी एवं स्टाम्प वेण्डर द्वारा दिनांक 25.7.2012 को बेचे गये स्टाम्प ग्राम पंचायत तिलवाड़ा में दिनांक 6.2.2016 को पेश होना यह साबित करता हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा संख्या 03 दिनांक 25.3.2012 कुटरचित एवं फर्जी तरीके से जारी किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तिलवाड़ा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा संख्या 03 दिनांक 25.3.2012 खारिज किया जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.10.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)